

# मध्यप्रदेश विधान सभा



**फरवरी-मार्च, 2013 सत्र**

**दैनिक कार्य सूची**

**बुधवार, दिनांक 20 फरवरी, 2013 (फाल्गुन 1, 1934)**

**समय 10.30 बजे दिन**

## 1. प्रश्नोत्तर

**पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.**

## 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, दि स्टेट फायनेंशियल कार्पोरेशन एक्ट, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का 57वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 42 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2010-2011 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री, मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 (क्रमांक 3 सन् 1931) की धारा 92 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 32-18-2012-म-इकतीस-665, दिनांक 22 अक्टूबर 2012 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं –

(क) क्रमांक 3296/म.प्र.वि.नि.आ./2012, दिनांक 29 नवम्बर, 2012,

(ख) क्रमांक 3410/म.प्र.वि.नि.आ./2012, दिनांक 12 दिसम्बर, 2012,

(ग) क्रमांक 3359/म.प्र.वि.नि.आ./2012, दिनांक 7 दिसम्बर, 2012, तथा

(घ) क्रमांक 151/म.प्र.वि.नि.आ./2013, दिनांक 15 जनवरी, 2013

पटल पर रखेंगे.

## 3. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले के खाचरौद तहसील अंतर्गत ग्राम आक्याजागीर स्थित विद्यालय के सेप्टिक टैंक में गिरने से दो छात्राओं की मौत होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, ग्वालियर शहर के पास बांधों के कैचमेंट क्षेत्र की भूमि की अवैध बिक्री किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

#### 4. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री अलकेश आर्य, सदस्य, बैतूल जिले के –  
(क) ग्राम साईं खण्डारा के कृषकों को भूमि अधिग्रहण का मुआवजा दिलाये जाने,  
(ख) ग्राम सोनाघाटी के वार्ड क्र.6 की शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने,  
(ग) प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को संविदा शाला शिक्षक बनाये जाने, तथा  
(घ) प्रदेश की अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को पाचवे वेतनमान एवं महंगाई भत्ता दिलाये जाने,
- (2) श्रीमती शशि ठाकुर, सदस्य, सिवनी जिले के –  
(क) ग्राम केदारपुर में सिंचाई हेतु लिफ्ट एरिगेशन से जल प्रदाय किये जाने,  
(ख) ग्राम पंचायत घनसौर को नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने,  
(ग) डाला-सिहोरा बांध का विस्तार कराये जाने,  
(घ) ग्राम आदेगांव एवं केदारपुर को उप तहसील का दर्जा दिलाये जाने, तथा  
(ङ) ग्राम आदेगांव के कन्या हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,
- (3) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य, ग्वालियर नगर के –  
(क) वार्ड क्र. 13 व 14 स्वर्णरेखा रमटापुरा पुल से लोहामंडी फूलबाग, किलागेट तक सड़क निर्माण किये जाने,  
(ख) वार्ड क्र. 8 शर्मा फार्म रोड से कृष्णादेव की बगिया होते हुये बिहार श्मशान घाट तक सड़क निर्माण किये जाने,  
(ग) वार्ड क्र. 5 नहरवाली रोड मोतीझील से सुन्दरसिंह के मकान तक सड़क निर्माण किये जाने,  
(घ) वार्ड क्र. 5 शिव शक्ति नगर की सड़क निर्माण कराये जाने,  
(ङ) वार्ड क्र. 4 चन्द्रनगर मुन्ना शाक्य के मकान से सूरज मेरिज गार्डन तक सड़क निर्माण किये जाने,  
(च) वार्ड क्र. 4 चन्द्रनगर ठाकुर मोहल्ला रामरतन पाल की गली का रोड निर्माण किये जाने, तथा  
(छ) वार्ड क्र. 4 चन्द्रनगर सुरेश राजपूत के मकान से श्मशान तक सड़क निर्माण किये जाने,
- (4) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य, राजगढ़ जिले के -  
(क) ग्राम जैतपुरा खुर्द के मा. वि. का उन्नयन किये जाने,  
(ख) ग्राम जैतपुरा के मा. वि. की बाउन्ड्रीवाल निर्माण किये जाने,  
(ग) ग्राम भण्डावद से लाल्याखेड़ी तक सड़क निर्माण किये जाने,  
(घ) ग्राम भण्डावद के हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,  
(ङ.) ग्राम हिनोत्या के मा. वि. की बाउन्ड्रीवाल निर्माण किये जाने, तथा  
(च) ग्राम देवाखेड़ी के मा. वि. की बाउन्ड्रीवाल निर्माण किये जाने
- (5) श्री सुभाष कुमार सोजतिया, सदस्य, मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के ग्राम भैसौदा को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने,  
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

#### 5. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मंडल के लिये राज्य विधान सभा के तीन सदस्यों का निर्वाचन

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –  
“यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 25 की उपधारा (1) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मंडल के लिये राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हो.”

#### 6. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य, द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2013 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा

“राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं.”